MTS, NATMO

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY**

साप्ताहिक

**WEEKLY**

सं. 37] नई दिल्ली, सितम्बर 9—सितम्बर 15, 2018, शनिवार/भाद्र 18—भाद्र 24, 1940

No. 37] NEW DELHI, SEPTEMBER 9—SEPTEMBER 15, 2018, SATURDAY/ BHADRA 18— BHADRA 24, 1940

**इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके**

**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
## PART II—Section 3—Sub-section (i)

**भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम ( जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं )**

**General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

### गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2018

**सा.का.नि. 295**—केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उप–धारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और असम राइफल्स (समूह 'ग' योद्धक पद) भर्ती नियम, 2000 का अधिक्रांत करते हुए जहां तक उनका संबंध नायब सूबेदार (धार्मिक अध्यापक) के पद से है उन बातों के सिवाए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन असम राइफल्स में नायब सूबेदार (धार्मिक अध्यापक) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम** और प्रारंभ.–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स नायब सूबेदार (धार्मिक अध्यापक) योद्धक पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या,** वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में **स्तर**.–पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति**, आयु–सीमा, अर्हताएं **इत्यादि**.– उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें ये होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

"**2. Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

3. In the said rules, in the Schedule, -

(A) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

| "Level in the pay matrix |
|---|
| (4) |
| Level 2 (Rs.19900-63200/-)"; |

(B) in column (10), in item (ii) and (iii), for the words, figures and letters 'the Grade Pay of Rs. 1800', the words, figures and letters "Level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900/-)" shall be substituted.

(C) in column (12), in item 1, for the words, letters 'Superintending Engineer (Coordination)', the words, letters "Deputy Director General" shall be substituted.

(D) in column (12), following entries shall be inserted:

"Group' C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of:

1. Director/Superintending Engineer or equivalent rank officer –Chairman
2. Two Deputy Directors/Executive Engineers or equivalent rank officer –Members"

[F. No. 49/4/2016-S&D/PF-III/EW-II]

MADHAVI MOHAN, Under Secy.

**Note:** The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 538(E) dated the 6th July, 2012.

---

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय**

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2018

**सा.का.नि.298.**-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 2004 को, जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला परिचर, पुस्तकालय परिचर, दफ्तरी, तकनीकी श्रमिक (अर्द्ध–कुशल), चपरासी, खलासी, तकनीकी श्रमिक (अकुशल), माली, चौकीदार, सफाईवाला के पदों से है; उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन में "बहुकार्य कर्मचारी वृन्द" के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण–संगठन, बहुकार्य कर्मचारी वृन्द (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2018 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**–पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में निर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति आयु–सीमा, अर्हताएं आदि.**–भर्ती की पद्धति, आयु–समी, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**–वह व्यक्ति,–

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| बहु कार्य कर्मचारी वृन्द | 31*<br>(2018)<br><br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर -I<br>(रु. 18000-56900/-) |

| चयन या अपचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|
| (5) | (6) | (7) |
| लागू नहीं होता | आयु 18 से 25 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु–सीमा चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।<br><br>**टिप्पणी 1.** आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।<br><br>**टिप्पण 2.** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। | **आवश्यक अर्हताएं :**<br>किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य उत्तीर्ण;<br>या<br>आई.टी.आई. उत्तीर्ण<br><br>**टिप्पणी 1.** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम–प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।<br><br>**टिप्पण 2.** अनुभव संबंधी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। |
|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :–**<br>1. विभागाध्यक्ष या संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन —अध्यक्ष<br>2. उपनिदेशक (चक्रानुक्रम से), राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन —सदस्य<br>3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/कार्यालय का प्रधान, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन —सदस्य | लागू नहीं होता। |

[फा. सं. एसएम/02/09/2017]

नीलम, अवर सचिव

## MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

### (Department of Science and Technology)

New Delhi, the 20th July, 2018

**G.S.R. 298.** –In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Group "C" and Group "D" posts) Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the posts of Laboratory Attendant, Library Attendant, Daftry, Technical Labourer (Semi-skilled), Peon, Khalasi, Technical Labourer (Unskilled), Mali, Chowkidar, Safaiwala, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of 'Multi-Tasking Staff' in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Multi-Tasking Staff (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.**—The number of said post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Level in the Pay Matrix | Whether selection or non-selection post |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Multi-Tasking Staff. | 31* (2018)<br><br>*Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level 1<br>(`18000-56900) | Not applicable |

| Age limit for direct recruits |
|---|
| (6) |
| Between 18 and 25 years.<br>(Relaxation of the upper age-limit for departmental candidates upto forty years for appointment by direct recruitment in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br><br>**Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep.<br><br>**Note 2:** In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names. |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| **Essential Qualifications:**<br><br>Matriculation or equivalent pass from recognized Board or University;<br>Or<br><br>ITI pass<br><br>**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.<br><br>**Note 2:** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent | Not applicable | Two years |

| | | |
|---|---|---|
| authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. | | |

| Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancy to be filled up by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made |
|---|---|
| (10) | (11) |
| By direct recruitment | Not applicable |

| If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :—**<br>(1) Head of Department or Joint Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Chairman<br>(2) Deputy Director (by rotation), National Atlas and Thematic Mapping Organisation -Member<br>(3) Senior Administrative Officer/Head of Office, National Atlas and Thematic Mapping Organisation -Member | Not applicable. |

[F.No. SM/02/09/2017]

NEELAM, Under Secy.

नई दिल्ली,1 अगस्त, 2018

**सा.का.नि.299.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय सर्वेक्षण समूह ग अनुसचिवीय पद भर्ती नियम 2006, को जहाँ तक उनका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक एवं अवर श्रेणी लिपिक के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण में उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, (समूह 'ग' अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या